10 7/3 पत्रावली पेश। अधि. उभयपक्ष हाजिर। प्रतिवादी अपीलों संख्या 3 व 11 की तामिल हो चुकी है, बावजूद तामिल हाजिर नहीं। अतः अपीलों सं. 3 व 11 के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावे। अधि. अपीलों सं. 152 की ओर से जवाब पेश नहीं कर सकते हैं वहम सुने जाने बाबत अनुरोध किया गया। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। मूल पक्ष व रेकॉर्ड में है व्यादर्शाने वाद विवादित भूमि के रिकॉर्ड को मौके की यथास्थिति में परिवर्तन करने पर पक्षकारों के हित प्रभावित हो सकते हैं। अतः उभयपक्ष के प्रार्थना निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना-पत्र प्राप्त कर स्वीकार किया जाता है। तथा उभयपक्ष के प्रार्थना निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि विवादित भूमि ख.नं. 316, 318, 831/315, 833/317 कुल किता 04 कुल रकबा 6.27 हैक्टर वाले ग्राम खिचड़ी का बास तहसील व जिला सीकर की भूमि पर मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नस्ती लायक है, दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सीकर (राज.)